

21. आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण

प्राधिकारी की लोक सूचना शाखा द्वारा म.प्र. लोक सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राधिकरण की समस्त शाखाओं से समन्वय स्थापित कर किया जाता है।